

ख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
मुकदमा नम्बर - 102/2021  
ओमप्रकाश वगै0 बनाम राजस्थान सरकार  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए


14.05.2022


पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत होने से आज पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ओमप्रकाश, राधेश्याम, हरिराम, बजरंगलाल व गोपाल सगे भाई हैं अतः इनके पिता का नाम भी एक ही होना चाहिए अतः गोपाल पुत्र गुगन के स्थान पर गोपाल पुत्र गुगनराम तथा बजरंग पत्रु गुगन के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र गुगनराम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम बाकरा तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 42 में आवेदकगण संख्या 3 व 4 के पिता का नाम गुगन के स्थान पर गुगनराम किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित है अतः

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बाकरा तहत तहसील झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 42 में आवेदकगण संख्या 3 व 4 (बजरंग व गोपाल) के पिता का नाम गुगन के स्थान पर गुगनराम किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
जज नितिश एन शर्मा न्यायाधीश  
त 2, झुन्झुनू (खज)

  
14.05.22  
उप-सूचना  
मुन्शी (खज.)